विविध **बैंक प्रकरण संख्या 42/2022**(GCMS : 2022/42) **सिटी यूनियन बैंक, जिसका पंजीकृत कार्यालय स्थित–149 टीएसआर स्ट्रीट, कुम्बकोनम, तमिलनाडु पर स्थित है एवं एक शाखा प्लाट संख्या 2, एम.आई.रोड., गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री एस मिनाक्षीसुन्दरम बनाम 1. मै. बनवारी लाल ब्रहमानन्द** कार्यालय मकान नं. 37, दुकान नं. 1, बारह जी का चौक, दीनानाथ जी की गली, सतीराम मन्दिर के पास, चांदपोल बाजार, जयपुर 2. **पवन कुमार गुप्ता** पुत्र बनवारी लाल गुप्ता निवासी सी–103, फैलेसिटी सोलेटियर, न्यू सांगानेर रोड़, स्वेज फार्म, श्याम नगर, सोडाला, जयपुर – 302019 3 **नितिषा गुप्ता** पुत्री पवन कुमार गुप्ता निवासी सी–103, फैलेसिटी सोलेटियर, न्यू सांगानेर रोड, स्वेज फार्म, श्याम नगर, सोडाला, जयपुर – 302019 4. **रेनु गुप्ता** पत्नी पवन कुमार गुप्ता निवासी सी–103, फैलेसिटी सोलेटियर, न्यू सांगनेर रोड, स्वेज फार्म, श्याम नगर, सोडाला, जयपुर – 302019 **5. सोनिया गुप्ता** पत्नी अनिल कुमार गुप्ता **6.अनिल कुमार गुप्ता** पत्नी बनवारी लाल गुप्ता **7. सोरभ गुप्ता** पुत्र सोहन लाल गुप्ता **8. विद्या देवी** पत्नी बनवारी लाल गुप्ता **9. पुष्पा देवी गुप्ता** सोहन लाल गुप्ता निवासीगण 61 ओल्ड धान मण्डी, रायसिंहनगर, गंगानगर, राजस्थान–335051 **10. नितिन गुप्ता** पुत्र पवन कुमार गुप्ता निवासी सी–103, फैलेसिटी सोलेटियर, न्यू सांगानेर रोड, स्वेज फार्म, श्याम नगर, सोडाला, जयपुर 302019 **11. मैसर्स बनवारी लाल सोहन लाल** कार्यालय 183, न्यू धान मण्डी, रायसिंहनगर, गंगानगर राजस्थान –335051 **12. मैसर्स बनवारी लाल मोहन लाल** कार्यालय 183, न्यू धान मण्डी, रायसिंहनगर, गंगानगर, राजस्थान – 335051 **13. मैसर्स गणपति फुड प्रोडक्ट,** कार्यालय 409, दुर्गा बिजनेश सेन्टर, पिंक सिटी पेट्रोल पम्प के पास, एमआईरोड, जयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 03.03.2022 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण **मै. बनवारी लाल ब्रहमानन्द, पवन कुमार गुप्ता, नितिषा गुप्ता, रेनु गुप्ता, सोनिया गुप्ता, सोरभ गुप्ता, विद्या देवी, पुष्पा देवी गुप्ता, नितिन गुप्ता, मैसर्स बनवारी लाल सोहन लाल, मैसर्स बनवारी लाल मोहन लाल एवं मैसर्स गणपति फुड प्रोडक्ट**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

को ऋण सुविधा के रूप में कुल 10.28 करोड़ रूपये (अखरे रूपये दस करोड अठाईस लाख मात्र) (मैसर्स बनवारी लाल ब्रहमानन्द को दिनांक 18.08.2018 को 5.00 करोड एवं दिनांक 29.06.2019 को 60.00 लाख, मैसर्स गणपति फूड प्रोडक्ट को दिनांक 25.12.2018 को 3.50 करोड, रेणु गुप्ता को दिनांक 01.06.2017 को 1.10 करोड़ एवं पवन गुप्ता को दिनांक 28.12.2019 को 59.00 लाख एवं दिनांक 30.03.2020 को 49.00 लाख) का ऋण स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी 1. मैसर्स बनवारी लाल सोहन लाल–प्रो. रेनु गुप्ता की सम्पत्ति दुकान नं. 183(क्षेत्रफल दुकान 94.74 वर्ग मीटर एवं गोदाम 32.98 वर्ग मीटर), नई मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान 2. सौरभ गुप्ता पुत्र सोहन लाल गुप्ता की सम्पत्ति दुकान संख्या 61 (क्षेत्रफल 79.44 वर्गगज), उत्तरी–पश्चिमी भाग, अनाज मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान 3. सोनिया गुप्ता पत्नी अनिल कुमार की सम्पत्ति दुकान संख्या 61(क्षेत्रफल 61.11 वर्गगज),दक्षिणी–पूर्वी भाग, अनाज मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान 4. विद्या देवी पत्नी बनवारी लाल की सम्पत्ति दुकान संख्या 61 (क्षेत्रफल 79.44 वर्गगज), उत्तरी–पूर्वी भाग, अनाज मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान 5. मैसर्स बनवारी लाल मोहन लाल–प्रो. पवन कुमार गुप्ता पुत्र बनवारी लाल गुप्ता की सम्पत्ति दुकान व प्लेटफार्म संख्या 100(क्षेत्रफल 97.40 वर्ग मीटर), नई मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाते दिनांक 29.12.2020, 31.12.2020 एवं 30.11.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 27.04.2021 को 11,03,05,153/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 27.04.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट

दो समाचार पत्रों में प्रकाशन भी करवाया है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक** रखी गई अप्रार्थी 1. मैसर्स बनवारी लाल सोहन लाल–प्रो. रेनु गुप्ता की सम्पत्ति दुकान नं. 183(क्षेत्रफल दुकान 94.74 वर्ग मीटर एवं गोदाम 32.98 वर्ग मीटर), नई मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान 2. सौरभ गुप्ता पुत्र सोहन लाल गुप्ता की सम्पत्ति दुकान संख्या 61 (क्षेत्रफल 79.44 वर्गगज), उत्तरी–पश्चिमी भाग, अनाज मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान 3. सोनिया गुप्ता पत्नी अनिल कुमार की सम्पत्ति दुकान संख्या 61(क्षेत्रफल 61.11 वर्गगज),दक्षिणी–पूर्वी भाग, अनाज मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान 4. विद्या देवी पत्नी बनवारी लाल की सम्पत्ति दुकान संख्या 61 (क्षेत्रफल 79.44 वर्गगज), उत्तरी–पूर्वी भाग, अनाज मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान 5. मैसर्स बनवारी लाल मोहन लाल–प्रो. पवन कुमार गुप्ता पुत्र बनवारी लाल गुप्ता की सम्पत्ति दुकान व प्लेटफार्म संख्या 100(क्षेत्रफल 97.40 वर्ग मीटर), नई मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण एवं गारंटरों मै. बनवारी लाल ब्रहमानन्द, पवन कुमार गुप्ता, नितिषा गुप्ता, रेनु गुप्ता, सोनिया गुप्ता, सोरभ गुप्ता, [illegible] गुप्ता, नितिन गुप्ता, मैसर्स बनवारी लाल सोहन लाल, मैसर्स [illegible] एवं मैसर्स गणपति फुड प्रोडक्ट** को 10.28 करोड़ रूपये (अक्षरे [illegible] अठाईस लाख मात्र) (मैसर्स बनवारी लाल ब्रहमानन्द को दिनांक 18.08.2018 को 5.[illegible] करोड एवं दिनांक 29.06.2019 को 60.00 लाख, मैसर्स गणपति फूड प्रोडक्ट को दिनांक 25.12.2018 को 3.50 करोड, रेणु गुप्ता को दिनांक 01.06.2017 को 1.10 करोड़ एवं पवन गुप्ता को दिनांक 28.12.2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

को 59.00 लाख एवं दिनांक 30.03.2020 को 49.00 लाख) को ऋण राशि की स्वीकृति **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी 1. मैसर्स बनवारी लाल सोहन लाल–प्रो. रेनु गुप्ता ने अपनी सम्पत्ति दुकान नं. 183(क्षेत्रफल दुकान 94.74 वर्ग मीटर एवं गोदाम 32.98 वर्ग मीटर), नई मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान 2. सौरभ गुप्ता पुत्र सोहन लाल गुप्ता ने अपनी सम्पत्ति दुकान संख्या 61 (क्षेत्रफल 79.44 वर्गगज), उत्तरी–पश्चिमी भाग, अनाज मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान 3. सोनिया गुप्ता पत्नी अनिल कुमार ने अपनी सम्पत्ति दुकान संख्या 61(क्षेत्रफल 61.11 वर्गगज),दक्षिणी–पूर्वी भाग, अनाज मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान 4. विद्या देवी पत्नी बनवारी लाल ने अपनी सम्पत्ति दुकान संख्या 61 (क्षेत्रफल 79.44 वर्गगज), उत्तरी–पूर्वी भाग, अनाज मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान 5. मैसर्स बनवारी लाल मोहन लाल–प्रो. पवन कुमार गुप्ता पुत्र बनवारी लाल गुप्ता ने अपनी सम्पत्ति दुकान व प्लेटफार्म संख्या 100(क्षेत्रफल 97.40 वर्ग मीटर), नई मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणियों के खाते दिनांक 29.12.2020, 31.12.2020 एवं 30.11.2020 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गये। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 27.04.2021 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। **अप्रार्थीगण सोनिया गुप्ता, अनिल कुमार गुप्ता, सौरभ गुप्ता, पुष्पा देवी एवं विद्या देवी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्राप्ति रसीद [illegible] किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर है तथा शेष अप्रार्थीगण की प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन [illegible] समाचार पत्रों दैनिक अमृत इण्डिया एवं दी टाईम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 16.0[illegible]021 को प्रकाशन करवाया है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला रजिस्ट्रार
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी 1. मैसर्स बनवारी लाल सोहन लाल–प्रो. रेनु गुप्ता की सम्पत्ति दुकान नं. 183(क्षेत्रफल दुकान 94.74 वर्ग मीटर एवं गोदाम 32.98 वर्ग मीटर), नई मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान 2. सौरभ गुप्ता पुत्र सोहन लाल गुप्ता की सम्पत्ति दुकान संख्या 61 (क्षेत्रफल 79.44 वर्गगज), उत्तरी–पश्चिमी भाग, अनाज मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान 3. सोनिया गुप्ता पत्नी अनिल कुमार की सम्पत्ति दुकान संख्या 61(क्षेत्रफल 61.11 वर्गगज),दक्षिणी–पूर्वी भाग, अनाज मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान 4. विद्या देवी पत्नी बनवारी लाल की सम्पत्ति दुकान संख्या 61 (क्षेत्रफल 79.44 वर्गगज), उत्तरी–पूर्वी भाग, अनाज मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान 5. मैसर्स बनवारी लाल मोहन लाल–प्रो. पवन कुमार गुप्ता पुत्र बनवारी लाल गुप्ता की सम्पत्ति दुकान व प्लेटफार्म संख्या 100(क्षेत्रफल 97.40 वर्ग मीटर), नई मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर राजस्थान, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। **प्रार्थी बैंक ने उक्त पांच सम्पत्तियों के अतिरिक्त विद्या देवी गुप्ता की एक अन्य सम्पत्ति दुकान नं. 61 दक्षिण–पश्चिम, अनाज मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर को भी पोजिशन नोटिस में अंकन किया है परन्तु प्रार्थना पत्र धारा 14 में विद्या देवी गुप्ता की सम्पत्ति दुकान नं. 61 दक्षिण–पश्चिम, अनाज मण्डी, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर का कब्जा नहीं चाहा है, इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है, जो करना चाहिए था।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में पैरा सख्या 08 में दिनांक 22.09.2021 को उपरोक्त सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया, अंकित किया है और पैरा संख्या 12 में दिनांक 11.08.2021 को उपरोक्त सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया, अंकित किया गया है दोनों में भिन्नता है, जिसका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है।

प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस में अप्रार्थी ऋणियों के तीन खातें में रेणु गुप्ता का खाता संख्या 50131203001O849, बनवारी लाल ब्रह्मानन्द का खाता संख्या 51202001O019246 एवं गणपति फूड प्रोडक्ट का खाता संख्या 51202001O020692 में कुल 9.60 करोड़ का ऋण दिया जाकर दिनांक 29.12.2020, 31.12.2020 एवं 30.11.2020 अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) होना अंकित किया है जबकि धारा 14 के प्रार्थना पत्र में चार खातों में ऋण दिया जाना अंकित किया है जिनमें मैसर्स बनवारी लाल ब्रहमानन्द को दिनांक 18.08.2018 को 5.00 करोड एवं दिनांक 29.06.2019 को 60.00 लाख, मैसर्स गणपति फूड प्रोडक्ट को दिनांक 25.12.2018 को 3.50 करोड, रेणु गुप्ता को दिनांक 01.06.2017 को 1.10 करोड़ एवं पवन गुप्ता को दिनांक 28.12.2019 को 59.00 लाख एवं दिनांक 30.03.2020 को 49.00 लाख का ऋण दिया जाना अंकित किया है। इस प्रकार प्रार्थी बैंक द्वारा कुल 10.28 करोड़ का कुल ऋण दिया जाना अंकित किया गया है, जो बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को दिये गये धारा 13(2) के नोटिस से भिन्न है। इसके साथ साथ चार खातों का दिनांक 29.12.2020, 31.12.2020 एवं 30.11.2020 अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)होना अंकित किया है और कौनसा खाता किस दिनांक को एन.पी.ए. हुआ है, का अंकन नहीं है इसके साथ साथ उक्त खातों में प्रार्थना पत्र में अंकित ऋणी मिलिषा गुप्ता का सम्बन्ध किस खाते संख्या से है, का अंकन नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत धारा 14 के प्रार्थना पत्र में **चार खातें एवं धारा 13(2) के नोटिस में तीन खातों का** अंकन किया है और **ऋण राशि भी अलग अलग अंकित की गई है।** साथ ही प्रार्थी बैंक ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकित नहीं किया है कि

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थी ऋणी नितिषा गुप्ता द्वारा कौनसे खाते में ऋण लिया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14 में प्रतीत से होता है कि अप्रार्थी ऋणियों के सभी खातों में अलग–अलग ऋणी है **तथा** अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) भी अलग अलग दिनांक को हुए है तथा **प्रत्येक खाते की बंधक सम्पत्ति भी अलग–अलग है इसलिए प्रार्थी बैंक के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14 में प्रत्येक खाते हेतु अलग अलग प्रकरण पेश करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है।**

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 27.04.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 27.04.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण एवं गारंटरों **मै. बनवारी लाल ब्रहमानन्द, पवन कुमार गुप्ता, नितिषा गुप्ता, रेनु गुप्ता, सोनिया गुप्ता, सोरभ गुप्ता, विद्या देवी, पुष्पा देवी गुप्ता, नितिन गुप्ता, मैसर्स बनवारी लाल सोहन लाल, मैसर्स बनवारी लाल मोहन लाल एवं मैसर्स गणपति फुड प्रोडक्ट** को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है, जिसकी पावती रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है एवं **अप्रार्थीगण सोनिया गुप्ता, अनिल कुमार गुप्ता, सौरभ गुप्ता, पुष्पा देवी एवं विद्या देवी को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस की प्राप्ति रसीद उपलब्ध है, जिस पर एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर है तथा शेष की प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्रों दैनिक अमृत इण्डिया एवं दी टाईम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 16.07.2021 को करवाया है।** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 [illegible] **अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस [illegible] यदि अप्रार्थीगण ऋणियों पर नोटिस की तामील नहीं होती है और अप्रार्थीगण नोटिस की तामील से बचने का प्रयास करते है तो नोटिस की प्रति उनके निवास स्थान पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाना आवश्यक होता है**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

परन्तु प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 27.04.2021 को जारी कर **पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीगण को भिजवाया है** और अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त होने के परिणामस्वरूप स्वयं अप्रार्थीगण को ऑनलाईन ट्रैक या प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं की है और **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत नियम 3(1) के परन्तुक के अनुसार अप्रार्थीगण के निवास स्थान पर नोटिस चस्पांदगी करने प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में कोई उल्लेख नहीं है।**

नोटिस तामील के सम्बन्ध में वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

<u>Demand Notice</u>

(1) The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmiting at the place where the borrower or his agent. empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service:

PROVIDED that where authorised officer has reason to believe that **the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service cannot be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and also by publishing the contents of the demand notice in two leading newspaper,** one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.

(2) Where the borrower is a body corporate the demand notice shall be served on the registered office or any of the brances of such body corporate as specified under sub-rule (1).

(3) Any other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.

(4) Where there are more than one borrower the demand noice shall be served on each borrower.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

चूंकि प्रार्थीगण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 27.04.2021 को जारी कर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है तथा अप्रार्थीगण को उक्त धारा 13(2) के नोटिस की स्वयं पर तामील नहीं हुई है। प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण के निवास स्थान पर/बंधक सम्पत्ति पर नोटिस चस्पा किये बिना ही दो समाचार पत्रों में प्रकाशन करवा दिया, जो उक्त **THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 के RULE 3 के तहत मान्य नहीं है। इस प्रकार बैंक द्वारा ऋणी को तामील के सम्बन्ध में अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारो की अवहेलना की है। बैंक द्वारा विधिक प्रावधानों की अवहेलना कर नोटिस जारी करने से ऋणियों पर भी अनावश्यक आर्थिक भार पड़ता है। इसप्रकार ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील होना नहीं माना जा सकता।**

माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ ने 2012 Cr. l.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versues Arvind Kumar & Anr के पैरा–13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

> **13.In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that genrally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provis'ons. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see aslo : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Pr[illegible]hra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and Karnataka State Road Trasnport Corporation Vs. Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर एवं उक्त कानूनी प्रावधानों की अवहेलना होने के कारण प्रार्थी सिटी युनियन बैंक लि. का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण को पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:24:21 IST
Reason: SelfAttested